

अधिसूचना


अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-01-07 / 2022- 4563

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत रंजन (कोटि-UNR), पिता- श्री मिथिलेश कुमार झा, स्थायी पता- हबीबपुर, नयाटोला, कमला भवन के निकट, जिला-साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना


अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-01-07 / 2022- 4563

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत रंजन (कोटि-UNR), पिता- श्री मिथिलेश कुमार झा, स्थायी पता- हबीबपुर, नयाटोला, कमला भवन के निकट, जिला-साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना

अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-०१-०७ / २०२२- ५५/५

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-०५ / २०१९) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री शुभम उपाध्याय (कोटि-UNR), पिता- श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, स्थायी पता- मकान सं०-११८, ग्राम-मेथौरी, पो०-मनगावौं, जिला-शीवा, मध्यप्रदेश-४८६१११ को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (९३००-३४८०० / - ग्रेड पे०- ५४०० / - सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-०९) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-५४३७ दिनांक ०९.०९.२०१० के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना

अधिसूचना सं० - 10 / स्था०-01-07 / 2022-

4523

रांची, दिनांक-14/11/21

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/वायिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुसूचित की विकास कुमार वर्मावाल (कोटि-BC-II), पिता- अरुण कुमार वर्मावाल, स्थायी पता- गौनार कोठी के पीछे, पीस्टैयर टाउन, जिला-देवघर, झारखण्ड-814112 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- पेट पै०- 5400/- सत्यम वेतन पुनर्स्थापन वेतनमान पे०- मेट्रिकल लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न ताली के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) की पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा सतीष्यद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित सेवा क्रमिक के अनुसार परीक्ष्यता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देना नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक कुमार तथा सज्जनाया विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 08.09.2010 के अलोक में चल-अचल सम्पत्ति का खोरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विलुद्ध किसी भी प्रकार का आपस्तिक/फौजदारी/व्यक्तिगत मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में बहिष्य में खीचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोजक द्वारा निर्गत विरगन आदेश (Believing Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से निर्धोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. गरिज प्रतिवेदन एवं पूर्व मूल सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना


अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-01-07 / 2022- 4525

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री नितेश कुमार (कोटि-BC-II), पिता- श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, स्थायी पता- बाईपास चौक के निकट, मस्जिद रोड, जिला-लातेहार, झारखण्ड-829206 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800 / - ग्रेड पे०- 5400 / - सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वंशियता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

  
(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना


अधिसूचना सं० :- 10/स्था०-01-07/2022- 4557

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशसित श्री अभिषेक कुमार (कोटि-UNR), पिता- श्री रामचन्द्र शास्त्री, स्थायी पता- सरस्वती विद्या मंदिर, बापू नगर, कार्मिक मंदिर के सामने, पो०-आई०एस०एम०, जिला-धनबाद, झारखण्ड-826004 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव


अधिसूचना

अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-01-07 / 2022- 4559 रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अभिषेक सिंह (कोटि-UNR), पिता- श्री शैलेन्द्र सिंह, स्थायी पता- आदिल नगर, कुरसी रोड, सिद्धांत पब्लिक स्कूल के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मेट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना


अधिसूचना सं० :- 10 / स्था०-01-07 / 2022- 4561

रांची, दिनांक- 14/11/22

संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री बिधान चन्द्र पाठक (कोटि-UNR), पिता- श्री मधुसुदन पाठक, स्थायी पता- ग्राम-घोबनी, पो०-अलकुसा, चास, जिला-बोकारो, झारखण्ड-827013 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के अलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव